पत्र संख्या–वन भूमि–19/2016 5060 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–राँची, श्यामली कॉलोनी
बंगला नं0–A-2, डोरंडा, राँची–834002

राँची, दिनांक – 03/11 /2016

विषयः– **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत टोरी से शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–758 दिनांक–26.07.2016, पत्रांक–915 दिनांक–22.09.2016 एवं पत्रांक–934 दिनांक–28.09.2016 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–932 दिनांक–05.08.2016 से प्राप्त विषयक प्रस्ताव मूल में एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव की समीक्षोपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तो के साथ अनुशंसा की जाती है–

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के N.P.V. का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(3) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(4) नार्थ कर्णपुरा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित समेकित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के समानुपातिक वित्तपोषण का खर्च प्रयोक्ता अभिकरण को परियोजना खर्च पर करना होगा।

(5) अन्य मानक शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

3/11/16

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–19/2016– 5060 राँची, दिनांक– 03.11.2016

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–19/2016– 5060 राँची, दिनांक– 03.11.2016

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप मुख्य अभियंता/Con/III, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/16

सरकार के उप सचिव

E/16-वनभूमि LETTER-123 (Mukesh)

O/C

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 19.85 ha of Forest Land for construction of Tori-Shivpur New B.G.Single Railwary line.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 19.85 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no. 5060 ***dated-*** 03.11.2016

Signature : 3/11/16

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate Change Department

उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date : 03.11.2016

Place : Ranchi